आदेश संख्याः 379 /2025 (प्रशासकीय)

जिलाधिकारी, बाराबंकी ने आदेश दिनांकित 25.09.2025 द्वारा देवा मेला वर्ष 2025 के कार्यक्रम में परिवर्तन के दृष्टिगत जनपद बाराबंकी में देवा मेला के स्थानीय अवकाश की तिथि परिवर्तित करते हुये दिनांक 10.10.2025 (शुक्रवार) कर दी गयी है।

इस न्यायिक अधिष्ठान में पूर्व में प्रशासकीय आदेश संख्या–09/2025 दिनांकित 07.01.2025 द्वारा दिनांक 13.10.2025 (सोमवार) को देवा मेला का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

अतएव, जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा देवा मेला के स्थानीय अवकाश की तिथि में परिवर्तन के दृष्टिगत इस न्यायिक अधिष्ठान में भी दिनांक 13.10.2025 (सोमवार) के स्थान पर दिनांक 10.10.2025 (शुक्रवार) को देवा मेला का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

प्रशासकीय आदेश संख्या–09/2025 दिनांकित 07.01.2025 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उक्त की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाय।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
जनपद न्यायाधीश
बाराबंकी
29.09.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, बाराबंकी।
2– मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, बाराबंकी।
3– समस्त न्यायालयों/कार्यालयों के सम्मानित पीठासीन अधिकारीगण।
4– जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
5– पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
6– संयुक्त निदेशक अभियोजन, बाराबंकी।
7– अधीक्षक जिला कारागार, बाराबंकी।
8– जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं दीवानी।
9– सिस्टम आफिसर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त आदेश को इस न्यायिक अधिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
10– जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी।
12– जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी को उक्त सूचना जनपद के मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने के आशय से।
13– नोटिस बोर्ड।

न्यायालय की आज्ञा से
29.9.2025
(भूपाल सिंह)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, बाराबंकी
29–09–2025